**भारत सरकार**

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय**

**उच्‍चतर शिक्षा विभाग**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न सं. 415**

**उत्‍तर देने की तारीख: 13.12.2018**

**शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का लाभ**

**415. श्री पी॰ एल॰ पुनियाः**

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि आईआईटी, आईआईएम, आईएचएम जैसे उच्च शिक्षण संस्थानों तथा विश्वविद्यालयों में शिक्षण एवं प्रबंध व्यवस्था में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा रहा है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ऐसे संस्थानों में आरक्षण व्यवस्था को प्रभावी रूप से लागू करने का विचार

रखती है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा विगत तीन वर्षों के दौरान रिक्त पदों को भरने के लिए उच्च शिक्षण संस्थानों को किन-किन तारीखों को निर्देश दिया गया है?

**उत्‍तर**

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्‍य मंत्री**

**(डॉ. सत्‍य पाल सिंह)**

(क) और (ख): केंद्रीय विश्‍वविद्यालय, भारतीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्‍थानों (आईआईएसईआर), भारतीय विज्ञान संस्‍थान (आईआईएससी), भारतीय प्रौद्योगिकी संस्‍थान (आईआईटी) जैसे केंद्र द्वारा वित्‍तपोषित उच्‍च शिक्षण संस्‍थानों में शिक्षण और शिक्षणेतर स्‍टाफ की भर्ती के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्‍य पिछड़े वर्ग हेतु आरक्षण के सरकारी मानदंडों का अनुसरण किया जाता है।

केंद्रीय शिक्षण संस्‍था (दाखिले में आरक्षण) संशोधन अधिनियम,2012 के साथ पठित सीईआई (दाखिले में आरक्षण) अधिनियम, 2006 के अनुसार अध्‍ययन अथवा संकाय की प्रत्‍येक ब्रांच में वार्षिक रूप से अनुमेय संख्‍या में से 15% सीटें अनुसूचित जाति के लिए, 7.5% सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए तथा 27% सीटें अन्‍य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित होती हैं।

विश्‍वविद्यालय अनुदान आयोग ने (i) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्‍य पिछड़े वर्गों/नि:शक्‍तजनों के संबंध में सरकार/यूजीसी की आरक्षण नीति के कार्यान्‍वयन (ii) विश्‍वविद्यालय की वेबसाइट पर आरक्षण रोस्‍टर पद्रर्शित करने और (iii) शिक्षण तथा शिक्षणेतर पदों पर इन वर्गों की शेष अभिचिन्‍हि्त बकाया आरक्षित रिक्‍तियों को भरने के लिए समय-समय पर सभी विश्‍वविद्यालयों को अनुदेश जारी किए थे।

आईआईटी में संकाय की नियुक्‍ति के लिए संबंधित वर्ष में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विषयों के सहायक प्रोफेसरों और व्‍याख्‍याताओं के प्रवेश स्‍तरीय पदों पर आरक्षण उपलब्‍ध है। तथापि, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (मानविकी, सामाजिक विज्ञान एवं प्रबंधन) के अलावा अन्‍य विषयों में संकाय पदों की भर्ती में एसोसिएट प्रोफेसरों तथा प्रोफेसरों के सभी पदों सहित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्‍य पिछड़े वर्गों के लिए क्रमश: 15%, 7.5% और 27% आरक्षण पूरी तरह से लागू किया जाता है।

पर्यटन मंत्रालय ने सूचित किया है कि सभी 21 केंद्रीय होटल प्रबंधन संस्‍थानों (आईएचएम) में भारत सरकार के आदेशानुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्‍य पिछड़े वर्ग के शिक्षण संकाय तथा शिक्षणेतर स्‍टाफ को आरक्षण के लाभ दिए जा रहे हैं।

(ग): यूजीसी ने सभी केंद्रीय/राज्य/समवत विश्‍वविद्यालयों, अंतर-विश्‍वविद्यालय केंद्रों को सूचित किया है कि भर्ती प्रक्रिया का मामला वर्तमान में न्‍यायाधीन है।

**\*\*\*\*\***